न्यायालयः सिविल जज (जू0डि0), कोंच, जनपद जालौन।
मूलवाद सं0 97/2020
संतोष प्रति रामशरण
दिनांक 17.08.2021

पत्रावली पेश हुयी। वादी की ओर से वारिसान प्रार्थनापत्र 20क1 मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त वाद में वादी सं0 1 संतोष कुमार दिनांक 08.03.2021 को मृतक हो गये है। प्रतिवादीगण अभी हाजिर नहीं आये है। प्रार्थीगण के अतिरिक्त मृतक संतोष कुमार के अन्य कोई वारिस नही है। इस कारण वादपत्र में तरमीम होना आवश्यक है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है तथा समयावधि के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान वाद में वादी सं0–1 संतोष कुमार की मृत्यु दिनांक 08.03.2021 को हुयी है। आवेदक उनके विधिक वारिशान है। प्रतिवादी से वर्तमान प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में आपत्ति लेने का कोई औचित्य नहीं है। प्रस्तुत वाद के अंतिम रूप से निस्तारण हेतु वादी सं0–1 संतोष कुमार के विधिक वारिशान को प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र 20क1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र 20क1 स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण प्रार्थनापत्र के प्रकाश में अविलम्ब संशोधन करे। पत्रावली वास्ते जवावदावा/सुनवाई 7ग2 दिनांक 16.11.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0), कोंच